न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्याः– 144 / 2018

निर्णय दिनांकः– 15.04.2021

उनवान

श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 रमेशचन्द जाति बैरवा निवासी अलीनगर उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक

–वादीया

बनाम

1. अकबर पुत्र अजगर खान जाति मुसलमान निवासी ग्रेन गोदाम रोड, विशाल होटल के पास बजरिया सवाई माधोपुर जिल सवाई माधोपुर
2. मुराद खा पुत्र सागिर खां जाति मुसलमान निवासी ग्रेन गोदाम रोड, विशाल होटल के पास बजरिया सवाई माधोपुर जिल सवाई माधोपुर
3. दिनेश पुत्र हरिशंकर जाति बैरवा निवासी निवासी ग्रेन गोदाम रोड, विशाल होटल के पास बजरिया सवाई माधोपुर जिल सवाई माधोपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री हरिराज सिंह वकील वादीया

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रके संक्षेप में निम्नप्रकार है–

यह है कि वादीया के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 0.15 है0 एवं ख0न0 356 / 265 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम अलीगनगर तहसील उनियारा जिला टोंक है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयत से वादीया से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। परन्तु कुछ समय से प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आ गई है , वह वादीया की औरतजात होने के कारण जबरन मजाहेमत व मदाखलत बेजा करने पर आमाद है। तथा कब्जा करने पर उतारू है। यदि प्रतिपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीया को अपने जायज हक से वंचित होना पडेगा।

अतः वाद शपथ–पत्र प्रस्तुत कर यह अधियाचना हे कि प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादीया की खातेदारी व काबिज काश्त आराजी खसरा 30 रकबा 0.15 है0 एवं ख0न0 356 / 265 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम अलीगनगर तहसील उनियारा में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे और न ही अन्य से करावें।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

D:\satya\revenue\FESLA\Faisla 1.docx177

जाकर प्रतिवादीगण दिनांक 25.06.2019 को उपस्थित हुऐ जवाब हेतु समय चाहा एंव दिनांक 8.07.2019 को राजीनामा पेश करने हेतु समय चाहा । दिनांक 15.04.2021 को प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुये । अतः प्रविवादीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

वादीया ने अपने वादी पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 269–74 वाके ग्राम अलीनगर प्रदर्श 1 पेश किये है।

वादीया ने अपने वादी पत्र के समर्थन मे p.w. 1 श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 रमेशचन्द जाति बैरवा निवासी अलीनगर , p.w. 2 दिलखुश पुत्र रमेश जाति बैरवा निवासी उखलाना , p.w. 3 पंकज पुत्र औम प्रकाश जाति बैरवा निवासी उखलाना के शपथ पत्र पेश किया ।

विद्वान अधिवक्ता वादीया के वकील की बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। हैं। जिसमें प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वार्णित आराजीयात में किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नही करे। अतः वाद वादीया डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे।

वाद पत्र में विद्वान अधिवक्ता वादीया के वकील की बहस सुनी बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–74 खाता संख्या 15 वाके ग्राम अलीगनगर खसरा नम्बर 30 रकबा 0.15 है0 एवं ख0न0 356/265 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम अलीगनगर तहसील उनियारा वादीयां की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है तथा नकल खसरा गिरदावरी रबी सम्वत वाके ग्राम पलाई उक्त खसरा नम्बरान से वादीया की कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसमें प्रतिवादीगण बिना किसी हक व अधिकार के कब्जा करने पर आमादा है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वाद वादीया के वाद को डिकी किया जाना उचित समझता हैं। अतः वाद वादीया डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 0.15 है0 एवं ख0न0 356/265 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम अलीगनगर तहसील उनियारा मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक

दिनांक 8/4/2021 हस्ताक्षर

नोट : * यहां दर्ज किया जावे कि दरख्वास्त देहन्दा मुकदमा हाजा में क्या हैसियत रखता है अगर वह फरीक मुकदमा न हो तो ऐसा दर्ज किया जाय।

1. आवेदनका गूरा पता ....

2. अगर आवेदक प्रतिलिपि डाक से मंगवाना चाहता हो तो उचित डाक टिकिट भेजना चाहिये।